

FORM NO.III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

उषा केवर बनाम भोखी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 74/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27-2-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>उषा केवर</u></p> <p>परिपत्र श्री <u>स्व. द्विक्रिष्ण सिंह रायपूर</u></p> <p>निवासी- <u>झोखी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>झोखी (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1191/322, 1192/321, 1193/320, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 324, 330, 331</u></p> <p>कुल कीता <u>1.5</u> कुल रकबा <u>5.1300</u> है० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>झोखी</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1191/322, 1192/321, 1193/320, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 324, 330, 331</u></p> <p>कुल कीता <u>1.5</u> रकबा <u>5.1300</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>दो हजार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (धीनू देवला) सहायक कमिश्नर एल उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>